



भारत का राजपत्र The Gazette of India

xxxGIDHxxx
xxxGIDExxx

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 435]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/आश्विन 24, 1942

No. 435]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

भारतीय भेषजी परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अक्टूबर, 2020

फार्मैसी (भेषजी) में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, २०२०

भेषजी अधिनियम, १९४८ की धारा १० के तहत विनियम।

(भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पत्रांक जेड-28020/59/2019-ए एच एस/एफ टी एस-8012809 दिनांक 7.10.2020) द्वारा अनुमोदित एवं भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा प्रकाशित)

सं. १४-५५/२०२०- भा.भे.परि. - भेषजी अधिनियम, १९४८ (१९४८ का ८) की धारा १० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय भेषजी परिषद केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

अध्याय - १

१. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ:-

- (१) इन विनियमों को फार्मैसी (भेषजी) में डिप्लोमा कोर्स के लिए शिक्षा विनियम, २०२० के नाम से जाना जाएगा।
- (२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. फार्मासिस्ट के लिए योग्यता:-

फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I और भाग-II) में उत्तीर्ण और फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-III) का संतोषजनक समापन फार्मासिस्ट के रूप में पंजीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता है।

अथवा

भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता।

३. फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-I, भाग-II और भाग-III) में अध्ययन पाठ्यक्रम को पूरा करने का एक प्रमाण पत्र शामिल होगा और अध्याय-२ और अध्याय-३ में निर्धारित इन नियमों के अनुसार प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (व्यवहारिक प्रशिक्षण) को संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिये जाने पर परीक्षा उत्तीर्ण की जाएगी।

अध्याय - २

४. फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-I तथा भाग-II):-

फार्मसी में डिप्लोमा में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता - भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित के साथ १०+२ परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण।

अथवा

भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता।

बशर्ते कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सीटों का आरक्षण हो, समय-समय पर जैसा भी मामला हो।

५. पाठ्यक्रम की अवधि:-

- (१) पाठ्यक्रम की अवधि दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष एक सौ अस्सी कार्य दिवसों से कम की अवधि का नहीं होगा।
- (२) इसके अतिरिक्त, पाँच सौ घंटे की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (व्यावहारिक प्रशिक्षण) तीन महीने से कम अवधि की नहीं होगी।

६. अध्ययन पाठ्यक्रम :-

फार्मसी में डिप्लोमा भाग-I और फार्मसी में डिप्लोमा भाग-II के अध्ययन पाठ्यक्रम में नीचे तालिका I और II में दिये गये विषय शामिल होंगे। थ्योरी और प्रैक्टिकल में इसे पढ़ाने हेतु प्रत्येक विषय के लिए उतने ही घंटों का समय दिया जायेगा जो नीचे दी गयी तालिकाओं के कॉलम २ और ३ में इसके सामने दिया गया है। हालाँकि, भारतीय भेषजी परिषद द्वारा पाठ्यक्रम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

तालिका - I**फार्मसी में डिप्लोमा (भाग I)**

विषय	घंटों की संख्या		
	थ्योरी	प्रैक्टिकल	शिक्षण
फार्मास्यूटिक्स	७५	७५	२५
फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र	७५	७५	२५
फार्माकोगनॉसी (भेषज-अभिज्ञान)	७५	७५	२५
मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान	७५	७५	२५
सामाजिक फार्मसी	७५	७५	२५
कुल	३७५	३७५	१२५

तालिका - II**फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग II)**

विषय	घंटों की संख्या		
	थ्योरी	प्रैक्टिकल	शिक्षण
फार्माकोलॉजी	७५	५०	२५
सामुदायिक फार्मैसी और प्रबंधन	७५	७५	२५
जीवरसायन एवं नैदानिक रोग विज्ञान	७५	५०	२५
फार्माकोथैरेप्यूटिक्स	७५	२५	२५
अस्पताल और नैदानिक फार्मैसी	७५	२५	२५
फार्मैसी कानून और नैतिकता	७५	-	२५
कुल	४५०	२२५	१५०

तालिका III**फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग III)****प्रैक्टिकल ट्रेनिंग- ५०० घंटे****गतिविधियाँ**

- १) ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों का संग्रहण (स्टॉक)
- २) सूची नियंत्रण प्रक्रियाएं
- ३) पर्चे का रखरखाव
- ४) वितरण (२५० घंटे)
- ५) रोगी परामर्श

७. पाठ्यविवरण:-

भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अध्ययन के प्रत्येक विषय के लिए पाठ्यविवरण समय-समय पर निर्धारित किया जाएगा।

८. अध्ययन पाठ्यक्रम का चलाने वाले को प्राधिकारी की स्वीकृति:-

- (१) किसी राज्य में कोई भी प्राधिकारी भारतीय भेषजी परिषद की पूर्व स्वीकृति के बिना फार्मैसी में डिप्लोमा अध्ययन पाठ्यक्रम शुरू या उसका संचालन नहीं करेगा।
- (२) विनियमन ६ में उद्धृत नियमित शैक्षणिक अध्ययन पाठ्यक्रम ऐसे संस्थान में चलाया जायेगा, जिसे भेषजी अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उपधारा (१) के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है।

विदित हो कि भारतीय भेषजी परिषद इस विनियमन के तहत किसी भी ऐसे संस्थान को तब तक मान्यता नहीं देगा, जब तक कि संबंधित संस्थान द्वारा भवन, आवास, उपकरण व अध्यापकगण आदि की दृष्टि से शिक्षण हेतु पर्याप्त व्यवस्था प्रदान नहीं कर दी जाती, जैसा कि इन विनियमनों के परिशिष्ट-क में दिया गया है। भारतीय भेषजी परिषद द्वारा इन विनियमनों में समय-समय पर परिवर्तन किया जा सकता है।

९. परीक्षाएं:-

- (१) वार्षिक परीक्षा शैक्षणिक वर्ष के अंत में होगी।
- (२) परीक्षा प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार जैसा भी मामला हो, जो छात्र फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-I या भाग-II उत्तीर्ण करने में सक्षम नहीं है यदि आवश्यक हो, तो उनके लिए एक पूरक (सप्लीमेंटरी) परीक्षा होगी।

- (३) परीक्षाएँ लिखित और प्रैक्टिकल (मौखिक सहित) होंगी, विषय के प्रत्येक खंड के लिए निर्धारित अधिकतम अंक नीचे दी गयी तालिका IV और V में दिया गया है।

तालिका – IV

फार्मसी में डिप्लोमा (भाग-I) परीक्षा

विषय	थ्योरी के लिए अधिकतम अंक			प्रैक्टिकल के लिए अधिकतम अंक		
	परीक्षा	*सत्रात्मक	कुल	परीक्षा	*सत्रात्मक	कुल
फार्मास्यूटिक्स	८०	२०	१००	८०	२०	१००
फार्मास्यूटिकल रसायन शास्त्र	८०	२०	१००	८०	२०	१००
फार्माकोग्नॉसी (भेषज-अभिज्ञान)	८०	२०	१००	८०	२०	१००
मानव शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान	८०	२०	१००	८०	२०	१००
सामाजिक फार्मसी	८०	२०	१००	८०	२०	१००
			५००	+ ५००	=	१०००

* आंतरिक मूल्यांकन

तालिका – V

फार्मसी में डिप्लोमा (भाग -I)

परीक्षा

विषय	थ्योरी के लिए अधिकतम अंक			प्रैक्टिकल के लिए अधिकतम अंक		
	परीक्षा	*सत्रात्मक	कुल	परीक्षा	*सत्रात्मक	कुल
फार्माकोलॉजी	८०	२०	१००	८०	२०	१००
सामुदायिक फार्मसी और प्रबंधन	८०	२०	१००	८०	२०	१००
जीवरसायन एवं नैदानिक रोग विज्ञान	८०	२०	१००	८०	२०	१००
फार्माकोथैरेप्यूटिक्स	८०	२०	१००	८०	२०	१००
अस्पताल और नैदानिक फार्मसी	८०	२०	१००	८०	२०	१००
फार्मसी कानून और नैतिकता	८०	२०	१००	-	-	-
			६००	+४००	+१००	= ११००

* आंतरिक मूल्यांकन

१०. फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-I और भाग-II परीक्षा में प्रवेश की पात्रता:-

केवल ऐसे अभ्यर्थी ही फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I) या (भाग-II) की परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो उस शैक्षणिक संस्थान, जहाँ से उन्होंने फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-I या भाग-II अध्ययन पाठ्यक्रम पूरा किया है, के प्रमुख द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर इस आशय की पुष्टि करें कि उन्होंने प्रत्येक विषय में थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग चलने वाली कक्षाओं में ७५ प्रतिशत से अधिक उपस्थिति बनाये रखते हुए नियमित एवं संतोषजनक फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-I) या (भाग-II) तरीके से पाठ्यक्रम पूरा किया है।

११. परीक्षाओं का प्रकार:-

- (१) तालिका - IV और V में उल्लिखित विषयों की थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षा तीन घंटे की अवधि की होगी। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को दो अलग-अलग पेपर के रूप में माना जाता है।
- (२) किसी विषय के थ्योरी या प्रैक्टिकल की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को अनुत्तीर्ण विषय की परीक्षा दोबारा देनी होगी। उत्तीर्णता मानदंड के लिए विषय विशेष के थ्योरी और प्रैक्टिकल को अलग-अलग विषय माना जाता है।
- (३) प्रैक्टिकल परीक्षा में एक मौखिक-परीक्षा भी शामिल होगी।

१२. सत्रात्मक अंक देना एवं रिकॉर्ड का रखरखाव:-

- (१) फार्मैसी भाग-I में डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान में और फार्मैसी भाग-II पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा प्रदान करने वाले संस्थान में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों प्रकार के कक्षा कार्य (क्लास वर्क) और परीक्षाओं का एक नियमित रिकॉर्ड, संस्थान में प्रत्येक छात्र के लिए बनाए रखा जाएगा और प्रत्येक थ्योरी के लिए २० अंक और प्रत्येक प्रैक्टिकल विषय के लिए २० अंक सत्रात्मक अंकों के रूप में दिये जायेंगे।
- (२) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो या अधिक आवधिक सत्रात्मक (आंतरिक मूल्यांकन) परीक्षाएं होंगी। किसी भी दो प्रदर्शन (परफॉर्मेंस) के सर्वाधिक कुल योग के आधार पर सत्रात्मक अंकों की गणना होगी।
- (३) प्रैक्टिकल परीक्षा में सत्रात्मक (सेशनल) अंक निम्नलिखित आधार पर दिए जाएंगे:
 - (i) सत्रात्मक/अंतर परीक्षा में वास्तविक प्रदर्शन = १० अंक
 - (ii) व्यावहारिक कक्षा/अंतर कार्य में दिन-प्रतिदिन मूल्यांकन = १० अंक

१३. परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम अंक

जब तक कि छात्र थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अलग-अलग प्रत्येक विषय में सत्रात्मक अंकों सहित कम-से-कम ४० प्रतिशत अंक प्राप्त नहीं करता, तब तक उस छात्र को फार्मैसी में डिप्लोमा की परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित नहीं किया जायेगा। सभी विषयों को मिलाकर ६० प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। किसी भी विषय या विषयों में ७५ प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित करने वाले छात्र को उस विषय या उन विषयों में विशेष सम्मान अंकों (डिस्टिंक्शन मार्क्स) से उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा। प्रथम श्रेणी और विशेष सम्मान अंक (डिस्टिंक्शन मार्क्स) इस शर्त के आधीन होगा कि छात्र एक ही प्रयास में सभी विषयों को पास करेगा।

१४. फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) में कक्षोन्नति की पात्रता:-

वो सभी अभ्यर्थी जो सभी विषयों में उपस्थित हुए हैं और फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-I परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, वे फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-II वर्ग में कक्षोन्नति के पात्र हैं। हालाँकि, दो से अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण होने पर वो फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-II वर्ग में कक्षोन्नत नहीं होंगे।

१५. सत्रात्मक अंकों में सुधार:-

अच्छे सत्रात्मक अंकों के इच्छुक अभ्यर्थी अगले शैक्षणिक वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त सत्रीय परीक्षाओं में उपस्थित होकर अच्छा अंक पा सकते हैं। दोनों परीक्षाओं के औसत अंक के आधार पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में अच्छे सत्रात्मक अंक हासिल किया जा सकता है। प्रैक्टिकल कक्षा में दिन-प्रतिदिन के मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थी को दिये गये अंक को बढ़ाने के लिए अभ्यर्थी को फिर से नियमित अध्ययन पाठ्यक्रम में उपस्थित होना होगा।

१६. परीक्षाओं की मंजूरी:-

विनियमन ६ से लेकर १५ तक में बतायी गयी परीक्षाएं किसी राज्य में ऐसे प्राधिकारी (यहाँ से आगे इन्हें परीक्षा प्राधिकारी कहा जायेगा) द्वारा ली जायेंगी, जिन्हें भेषजी अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (२) के तहत भारतीय भेषजी परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी। इन विनियमनों के परिशिष्ट-ख में दी गयी शर्तों को परीक्षा प्राधिकारी द्वारा पूरा किये जाने की स्थिति में ही, इस तरह की मान्यता को स्वीकृति मिल पायेगी।

१७. फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-II) के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र

फार्मैसी में डिप्लोमा भाग-II के लिए परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र सफल छात्र को परीक्षा प्राधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

अध्याय - ३

फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग - III)

(प्रैक्टिकल ट्रेनिंग)

१८. प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए अवधि और अन्य शर्तें:-

- (१) मान्यता-प्राप्त परीक्षा प्राधिकारी द्वारा फार्मैसी में डिप्लोमा के भाग-II की ली गयी परीक्षा में उपस्थित होने के बाद, अभ्यर्थी निम्नलिखित संस्थानों में से एक या एक से अधिक संस्थान में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए पात्र होंगे:
 - (i) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पताल/डिस्पेंसरीयाँ।
 - (ii) औषधि एवं प्रसाधन नियम, १९४५ के तहत दवाओं की खुदरा बिक्री के लिए लाइसेंस-प्राप्त फार्मैसी, जहाँ पंजीकृत फार्मासिस्ट्स की सेवाएँ मौजूद हों।
 - (iii) ऊपर वर्णित उपनियम (i) में दिये गये अस्पताल और डिस्पेंसरी को छोड़कर अन्य अस्पताल और डिस्पेंसरी द्वारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देने के लिए उन्हें इन विनियमनों के परिशिष्ट-ग में दी गयी शर्तों को पूरा कर पाने की स्थिति में ही भारतीय भेषजी परिषद द्वारा मान्यता प्रदान की जायेगी।
- (२) उपनियम (१) में दिये गये संस्थान प्रशिक्षण देने के लिए पात्र होंगे, बशर्ते औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, १९४० और औषधि एवं प्रसाधन नियम, १९४५ के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी अस्पताल, डिस्पेंसरी या फार्मैसी में छात्र फार्मासिस्ट्स की संख्या ४ से अधिक न हो, जहाँ एक पंजीकृत फार्मासिस्ट उस कार्य में शामिल होगा जिसमें छात्र फार्मासिस्ट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, और जहाँ एक से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट इसी तरह काम में लगे हैं, वहाँ ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए यह संख्या २ से अधिक नहीं होगी।
- (३) प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (व्यावहारिक प्रशिक्षण) के दौरान, प्रशिक्षु को जानकारी होनी चाहिए:-
 - (i) फार्मैसी के पेशे से संबंधित विभिन्न विधान अधिनियमों द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड रखने के कार्य की जानकारी; तथा
 - (ii) इन विनियमों के विनियमन ६ के अंतर्गत तालिका III में उल्लिखित गतिविधियों में व्यावहारिक अनुभव।
- (४) प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तीन महीने से अधिक की अवधि में पाँच सौ घंटे से कम की नहीं होगी, जिसमें से दो सौ पचास घंटे का समय नुस्खों के लिए वास्तविक रूप में दवाएँ तैयार करने में देना होगा।

१९. ट्रेनिंग शुरू होने से पहले पालन की जाने वाली पद्धति:-

- (१) प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख, आवेदन के आधार पर कथित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए पात्र अभ्यर्थी को ट्रिप्लिकेट 'प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म फॉर फार्मासिस्ट' (जिसे यहाँ से आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म (अनुबंध प्रपत्र) कहा जायेगा) देंगे। कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म (अनुबंध प्रपत्र) इन नियमों में परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट होगा।
- (२) कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का खंड I प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख द्वारा भरा जायेगा। कथित कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का खंड II प्रशिक्षु द्वारा भरा जायेगा और प्रशिक्षण देने के लिए सहमत संस्थान के प्रमुख (जिन्हें यहाँ से आगे अप्रेंटिस मास्टर कहा जायेगा) कथित कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म का खंड III भरेंगे।
- (३) भरे गये फॉर्म की एक प्रति (जिसे यहाँ से आगे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की पहली प्रति कहा जायेगा) प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख के यहाँ जमा करने की जिम्मेदारी प्रशिक्षु की होगी और अन्य दो प्रतियाँ (जिन्हें यहाँ से आगे दूसरी और तीसरी प्रति कहा जायेगा) अप्रेंटिस मास्टर (यदि वह चाहे तो) या प्रशिक्षु द्वारा प्रशिक्षण पूरा होने तक भरी जायेंगी।

२०. फार्मैसी में डिप्लोमा भाग -III उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र:-

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अवधि को संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिए जाने पर, अप्रेंटिस मास्टर द्वारा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की दूसरी व तीसरी प्रति का खंड IV भरा जायेगा और उसे प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख यहाँ अप्रेषित कर दिया जायेगा, जो दूसरी व तीसरी प्रति की एंट्रीज को पहली प्रति में उपयुक्त रूप में प्रविष्ट करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म की तीनों प्रतियों का खंड V भरेंगे और उसके बाद, दूसरी और तीसरी दोनों ही प्रति प्रशिक्षु को सौंप देंगे।

यह अनुबंध प्रपत्र, सभी प्रकार से पूरा किया गया, जिसे फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-III) के पाठ्यक्रम को सफलतापूर्वक पूरा करने का प्रमाण पत्र माना जाएगा।

अध्याय - ४

२१. फार्मैसी में डिप्लोमा का प्रमाणपत्र:-

फार्मैसी में डिप्लोमा भाग I और भाग II की उत्तीर्णता प्रस्तुत किये जाने और फार्मैसी में डिप्लोमा (भाग-III) की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग संतोषजनक तरीके से पूरा कर लिये जाने पर, सफल अभ्यर्थी को परीक्षा प्राधिकारी द्वारा फार्मैसी में डिप्लोमा का प्रमाणपत्र (सर्टीफिकेट) जारी किये जाने की मंजूरी दी जायेगी।

२२. निरसन एवं बचत:-

(१) भारतीय भेषजी परिषद द्वारा प्रकाशित शिक्षा विनियमन, १९६१ (यहाँ के बाद कथित विनियमन कहा गया है), देखें संख्या १४-५५/८७ (पार्ट)-पीसीआई/२४८४-२८८७, तिथि ११.७.१९६२, और उसमें सभी संशोधन एतद् द्वारा निरस्त किये जाते हैं।

(२) इस तरह के निरसन के बावजूद,

(क) कथित विनियमन के तहत की गयी किसी चीज या किसी कार्य को इन विनियमनों के संबंधित प्रावधान के तहत किया गया माना जायेगा।

(ख) एक व्यक्ति जिसे फार्मैसी में डिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण के दौरान उक्त विनियमों के तहत छात्र के रूप में भर्ती कराया गया था और जिसने इन विनियमों के प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की थी, को उक्त विनियमों के प्रावधानों के अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, मानो ये नियम लागू ही नहीं हुए थे:

हालाँकि दिया गया है, विशेष राज्य में परीक्षा प्राधिकारी एक तारीख तय कर सकता है जिसके बाद कथित विनियमन के तहत परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी।

परिशिष्ट-क
(देखें विनियमन ८)

शैक्षणिक संस्थान द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

फार्मासिस्ट हेतु अध्ययन के पाठ्यक्रमों के अनुमोदन के लिए भारतीय भेषजी परिषद को आवेदन करने वाले किसी भी प्राधिकरण को भेषजी अधिनियम, १९४८ की धारा १२ की उपधारा (१) के अधीन निम्नलिखित प्रदान करना होगा।

(क) आवास

विभाग के प्रधानाचार्य/प्रमुख के कक्ष, कार्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, कर्मचारी, कर्मचारियों के सार्वजनिक कक्ष, छात्रों के सार्वजनिक कक्ष, संग्रहालय, स्टोर आदि के लिए पर्याप्त हवादार प्रकाश व्यवस्था और अन्य स्वच्छता वाले उपयुक्त और पर्याप्त आवास प्रदान किये जाने चाहिए।

नीचे दी गई कम से कम चार प्रयोगशालाओं को प्रदान किया जाना चाहिए: -

१. फार्मास्यूटिक्स प्रयोगशाला
२. फार्मा रसायन शास्त्र प्रयोगशाला
३. फिजियोलॉजी (शरीर क्रिया विज्ञान), फार्माकोलॉजी एवं फार्माकोग्नॉसी (भेषज-अभिज्ञान) प्रयोगशाला
४. जीवरसायन, नैदानिक रोग विज्ञान, अस्पताल और नैदानिक फार्मैसी प्रयोगशाला

प्रयोगशालाओं के अतिरिक्त, बैलेंस रूम, एसेप्टिक रूम अथवा कैबिनेट, एक मशीन रूम भी प्रदान किए जाने चाहिए।

न्यूनतम ५०० वर्ग फीट की शर्त के अधीन प्रयोगशाला का फर्श क्षेत्र किसी भी समय प्रयोगशाला में काम करने के लिए आवश्यक प्रति छात्र ३० वर्ग फीट से कम नहीं होना चाहिए।

प्रयोगशालाओं को इस तरह से उपयुक्त और निर्मित किया जाना चाहिए कि इन्हें यथोचित रूप से स्वच्छ रखा जा सके। जहाँ भी आवश्यक हो गैस और पानी की फिटिंग, अलमारियाँ, धुआँ अलमारी प्रदान की जानी चाहिए।

संस्थान निम्नलिखित विवरण के अनुसार 'मॉडल फार्मैसी' प्रदान करेंगे -

मॉडल फार्मैसी	संख्या	क्षेत्र
आवश्यक: चालू मॉडल सामुदायिक फार्मैसी	०१	८० वर्ग मीटर
वांछित: ड्रग मॉडल स्टोर		(औषधि सूचना केंद्र के लिए १० वर्ग मीटर और रोगी परामर्श के लिए १० वर्ग मीटर।)

“पाठ्यक्रम में जहाँ कहीं भी पशु पर प्रयोग करने की बात कही गयी है, अपेक्षित ज्ञान तथा कौशल कम्प्यूटर आधारित मापक के जरिए प्रदान किया जाये। पशुओं के रखने का स्थान पशुओं पर प्रयोग पर नियन्त्रण तथा देखरेख करने के उद्देश्य से गठित समिति (सी पी सी एस ई ए) के दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए।

(ख) कर्मचारी

प्रधानाचार्य/निदेशक/आचार्य/संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष सप्ताह में आठ घंटे तक अध्यापन में लगे रह सकते हैं, और अन्य शिक्षण कर्मचारियों का कार्य भार सोलह घंटे प्रति सप्ताह से अधिक नहीं होना चाहिए।

कर्मचारी-छात्र अनुपात, थ्योरी कक्षाओं में 9:६० और प्रैक्टिकल कक्षाओं में 9:२० से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल में ३० छात्रों के एक बैच के लिए दो शिक्षक होने चाहिए। उपरोक्त मानदंडों के अनुसार, ६० छात्रों के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की आवश्यकता है:

१. प्रधानाचार्य/निदेशक/आचार्य/संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष	- एक
२. व्याख्याता:	
• एम.फार्मा/फार्मा. डी	- तीन
• ३ वर्ष के पेशेवर अनुभव के साथ बी. फार्मा	- चार

नियमित संकाय के अलावा, संस्थान में एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री और क्लिनिकल पैथोलोजी पढ़ाने के लिए विजिटिंग फैकल्टी के रूप में बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी (एम.बी.बी.एस.) संकाय हो सकता है।

प्रधानाचार्य/निदेशक/आचार्य/संस्थान के प्रमुख/विभागाध्यक्ष सहित शिक्षण संकाय की न्यूनतम योग्यता एवं अनुभव और उनके वेतनमान को भेषजी संस्थानों में शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता विनियम, २०१४ में निर्धारित किया जाएगा।

शिक्षण कर्मचारियों का वेतनमान समान श्रेणी के पदों के लिए राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग /अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित वेतनमान से कम नहीं होगा।

बशर्ते कि उपर्युक्त योग्यता निरस्त शिक्षा विनियमों के तहत नियुक्त पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

गैर-शिक्षण कर्मचारी

डी. फार्मा पाठ्यक्रम के लिए गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सूची:

१.	प्रयोगशाला तकनीशियन (योग्यता- फार्मसी में डिप्लोमा)	२
२.	प्रयोगशाला परिचर	४
३.	कार्यालय अधीक्षक	१
४.	लिपिक-सह-लेखाकार	१
५.	स्टोर-कीपर (भंडारपाल)	१
६.	टाइपिस्ट (टंकक)	१
७.	सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष	१
८.	चपरासी	२
९.	सफाई करने वाला/सफाई कर्मचारी	४
१०.	माली	१

संग्रहालय

प्रत्येक संस्थान में पाठ्यक्रम में उल्लिखित कूड ड्रग्स, हर्बेरियम शीट्स और दवाओं और पौधों के वानस्पतिक नमूनों का संग्रहालय होगा। इसके अलावा, निम्नलिखित की सिफारिश की जाती है: -

१. औषधीय पौधों की रंगीन स्लाइड;

२. लोकप्रिय पेटेंट दवाओं का प्रदर्शन; तथा
३. दवाओं में आम उपयोग के कंटेनर।

पुस्तकालय

प्रत्येक संस्थान में एक पुस्तकालय होगा जिसमें पाठ्यक्रम में उल्लिखित पुस्तकें और साथ ही वर्तमान औषधीय पत्रिकाएँ भी होनी चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों को संदर्भित करने के लिए छात्रों और कर्मचारियों के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।

नोट: उपरोक्त आवश्यकताएं न्यूनतम आवश्यकताएं हैं और अधिक भौतिक और शिक्षण सुविधा प्रदान करने के लिए संस्थान स्वतंत्र है।

उपकरण

उपकरण और सामग्री की सूची समय-समय पर भारतीय भेषजी परिषद द्वारा तय की जा सकती है।

परिशिष्ट-ख

(देखें विनियमन १६)

परीक्षा प्राधिकारी द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

१. परीक्षा प्राधिकारी या तो सांविधिक भारतीय विश्वविद्यालय या केंद्र या राज्य सरकार द्वारा गठित निकाय होगा। यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा केंद्रों पर परीक्षाओं के अनुशासन और शिष्टाचार का सख्ती से पालन हो।
२. यह भारतीय भेषजी परिषद के निरीक्षक या निरीक्षकों को परीक्षाओं का दौरा करने और निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
३. यह प्रदान करेगा :-
 - (क) लिखित परीक्षाओं के लिए आवश्यक फर्नीचर सहित पर्याप्त कक्ष;
 - (ख) प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित करने के लिए उपयुक्त रूप से सुसज्जित प्रयोगशालाएं;
 - (ग) परीक्षा का संचालन और निरीक्षण के लिए योग्य एवं पर्याप्त संख्या में जिम्मेदार परीक्षक और कर्मचारी; तथा
 - (घ) ऐसी अन्य सुविधाएं जो परीक्षाओं के कुशल और उचित संचालन के लिए आवश्यक हों;
४. अभ्यर्थी के लिए आवश्यक होने पर, यह परीक्षा प्राधिकारी को निर्धारित शुल्क, यदि कोई है, का भुगतान करने के बाद परीक्षाओं में अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों का विवरण प्रदान करेगा।
५. यह परिशिष्ट-ए में दर्शाए गये संबंधित विषयों के शिक्षकों के समान योग्यता वाले परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे।
६. भेषजी अधिनियम १९४८ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अनुपालन में, परीक्षा प्राधिकारी परीक्षाओं की तिथियाँ तय होने के छः हफ्ते पूर्व ही अग्रिम रूप से भारतीय भेषजी परिषद के सचिव को सूचित करेगा, ऐसी परीक्षाओं की समय-सारणी के बारे में बतायेगा, ताकि परिषद परीक्षाओं के निरीक्षण हेतु व्यवस्था बना सके।
७. चेयरमैन और, फार्मसी परीक्षाओं के संचालन व परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित परीक्षा प्राधिकारी की परीक्षा समिति के कम-से-कम एक विशेषज्ञ सदस्य के पास फार्मसी की योग्यता मौजूद होनी चाहिए।

परिशिष्ट-ग

{देखें विनियमन १८(१)(iii)}

प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए मान्यता प्राप्त करने हेतु संस्थान द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

१. वह संस्थान, जहाँ छात्र फार्मासिस्ट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, आवश्यकतानुसार समय-समय पर ऐसी जानकारी उपलब्ध करायेगा, जिसे भारतीय भेषजी परिषद द्वारा कर्मचारी, आवास और संबंधित संस्थान के उपकरण व इसके कार्य के बारे में मांगी जा सकती है।
२. संस्थान द्वारा भारतीय भेषजी परिषद के निरीक्षकों को कार्य समय के दौरान किसी भी उपयुक्त समय पर परिसर के निरीक्षण की अनुमति दी जायेगी।
३. छात्र फार्मासिस्टों की देखभाल के लिए, संस्थान कुछ सदस्यों या अपने कर्मचारियों को कार्य सौंपेगा, जो पंजीकृत फार्मासिस्ट होंगे। स्टाफ के ऐसे सदस्य संबंधित संस्था प्रमुख के प्रति जवाबदेह होंगे।
४. संस्थान द्वारा ऐसे अवसर, आवास, उपकरण, सामग्री व संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी, जिनकी छात्र फार्मासिस्ट्स की अच्छी तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आवश्यकता पड़ सकती है।
५. औषधि एवं प्रसाधन नियम, १९४५ और औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, १९४० के तहत लाइसेंस प्राप्त किसी भी अस्पताल, फार्मसी तथा दवा विक्रेता (केमिस्ट) एवं औषधि विक्रेता (ड्रगिस्ट) में छात्र फार्मासिस्ट्स की संख्या ४ से अधिक न हो, जहाँ एक पंजीकृत फार्मासिस्ट उस

- कार्य में शामिल होगा जिसमें छात्र फार्मासिस्ट को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है; और जहाँ एक से अधिक पंजीकृत फार्मासिस्ट इसी तरह काम में लगे हैं, वहाँ ऐसे प्रत्येक अतिरिक्त एवं पंजीकृत फार्मासिस्ट के लिए यह संख्या २ से अधिक नहीं होगी।
६. विनियमन १८ के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक संस्थान लिखित रूप में सचिव, भारतीय भेषजी परिषद को आवेदन देंगे और बतायेंगे कि वो मान्यता प्राप्त करना चाहते हैं।
७. इस बात की संतुष्टि हो जाने पर कि संस्थान इन नियमों द्वारा तय की गयी शर्तों का पालन करेगा, भारतीय भेषजी परिषद द्वारा इस तरह की मान्यता प्रदान की जायेगी।
८. इन स्थितियों की व्याख्या या अवलोकन से संबंधित कोई भी सवाल पैदा होने पर, भारतीय भेषजी परिषद का निर्णय अंतिम होगा।

परिशिष्ट-घ

{दिखें विनियमन १९(१)}

फार्मासिस्टों के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म

खंड I

यह आवेदन पत्र

(छात्र फार्मासिस्ट का नाम)

पुत्र/पुत्री _____ आवास _____ को जारी किया गया है, जिन्होंने मेरे समक्ष इस आशय का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि वह भेषजी अधिनियम, १९४८ की धारा १० के तहत बने शिक्षा विनियमन, २०२० में निर्धारित प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के पात्र हैं।

दिनांक:

प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख

खंड II

मैं _____

(छात्र फार्मासिस्ट का नाम)

_____ के _____

(संस्थान का नाम)

(अप्रेंटिस मास्टर का नाम)

(अस्पताल या फार्मसी) को उपरोक्त प्रशिक्षण के लिए अपने अप्रेंटिस मास्टर के रूप में स्वीकार करता/करती हूँ और अपनी ट्रेनिंग की पूरी अवधि के दौरान मैं इनकी आज्ञा मानूंगा/मानूंगी और उन्हें सम्मान दूंगा/दूंगी।

(छात्र फार्मासिस्ट)

खंड III

मैं _____

(अप्रेंटिस मास्टर का नाम)

_____ (छात्र फार्मासिस्ट का नाम)

को प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करता/करती हूँ और मैं उन्हें अपने संगठन में प्रशिक्षण हेतु ऐसी सुविधाएँ दूंगा/दूंगी जिससे वह अपने प्रशिक्षण काल में निम्नलिखित हासिल कर सकें:

१. फार्मसी के पेशे को प्रभावित करने वाले विभिन्न कानूनों द्वारा आवश्यक रिकॉर्ड्स के रखरखाव की कार्यात्मक जानकारी; और

२. प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) अनुभव में:-
- १) ड्रग्स और मेडिकल उपकरणों का संग्रहण (भंडारण)
 - २) सूची नियंत्रण प्रक्रियाएं
 - ३) पर्चे का रखरखाव
 - ४) वितरण
 - ५) रोगी परामर्श

मैं यह भी मानता हूँ कि उसके/उसकी मार्गदर्शन के लिए एक पंजीकृत फार्मासिस्ट को नियुक्त किया जाएगा

(अप्रेंटिस मास्टर)
(संस्थान का नाम और पता)

खंड IV

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि _____ (छात्र फार्मासिस्ट का नाम) ने _____ घंटे की _____ महीने के प्रशिक्षण किया जो खंड III में वर्णित विवरण के अनुसार है।

(प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थान के प्रमुख)

खंड V

मैं प्रमाणित करता हूँ कि _____ (छात्र फार्मासिस्ट का नाम) ने फार्मैसी अधिनियम, १९४८ की धारा १० के तहत बनाई गई शिक्षा विनियम, २०२० के विनियमन १८ के तहत अपने प्रैक्टिकल (व्यावहारिक) प्रशिक्षण को संपूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। भारतीय भेषजी परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थान में उनका व्यावहारिक प्रशिक्षण हुआ था।

दिनांक:

(शैक्षणिक संस्थान के प्रमुख)

अर्चना मुद्गल, निबन्धक-एवं-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./298/2020-21]

PHARMACY COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th October, 2020

The Education Regulations, 2020 for Diploma Course in Pharmacy

Regulations made under section 10 of the Pharmacy Act, 1948.

(As approved by the Government of India, Ministry of Health & Family Welfare vide letter No. Z-28020/59/2019-AHS/FTS-8012809 dated 7.10.2020 and notified by the Pharmacy Council of India.)

No.14-55/2020-PCI: - In exercise of the powers conferred by section 10 of the Pharmacy Act, 1948 (8 of 1948), the Pharmacy Council of India, with the approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

CHAPTER 1

1. Short title and commencement- (1) These regulations may be called the Education Regulations, 2020 for Diploma course in Pharmacy.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Qualification for Pharmacist- The minimum qualification required for registration as a pharmacist shall be a pass in Diploma in Pharmacy (Part-I & Part-II) and satisfactory completion of Diploma in Pharmacy (Part-III).

Or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above.

3. Diploma in Pharmacy (Part-I, Part-II and Part-III) shall consist of a certificate of having completed the course of study and passed the examination after satisfactory completing the practical training as prescribed in Chapter-2 and Chapter-3 of these regulations.

CHAPTER 2**4. Diploma in Pharmacy (Part-I and Part-II)-**

Minimum qualification for admission to Diploma in Pharmacy-A pass in 10+2 examination (science academic stream) with Physics, Chemistry and Biology or Mathematics.

or

Any other qualification approved by the Pharmacy Council of India as equivalent to the above examination.

Provided that there shall be reservation of seats for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates in accordance with the instructions issued by the Central Government /State Governments /Union territory administrations as the case may be from time to time.

5. Duration of the course-

(1) The duration of the course shall be for two academic years. Each academic year shall be spread over a period of not less than one hundred and eighty working days.

(2) In addition there shall be a five hundred hours of practical training spread over a period of not less than three months.

6. Course of study- The course of study for Diploma in Pharmacy Part-I and Diploma in Pharmacy Part-II shall include the subjects as given in the Tables I & II below. The number of hours devoted to each subject for its teaching in Theory and Practical, shall not be less than that noted against it in columns 2 and 3 of the Tables below. **However, the course of study and practical training may be modified by the Pharmacy Council of India from time to time.**

Table – I			
Diploma in Pharmacy (Part - I)			
Subject	Number of hours		
	Theory	Practical	Tutorial
Pharmaceutics	75	75	25
Pharmaceutical Chemistry	75	75	25
Pharmacognosy	75	75	25
Human Anatomy & Physiology	75	75	25
Social Pharmacy	75	75	25
Total	375	375	125

Table – II			
Diploma in Pharmacy (Part II)			
Subject	Number of hours		
	Theory	Practical	Tutorial
Pharmacology	75	50	25
Community Pharmacy & Management	75	75	25
Biochemistry & Clinical Pathology	75	50	25
Pharmacotherapeutics	75	25	25
Hospital & Clinical Pharmacy	75	25	25
Pharmacy Law & Ethics	75	--	25
Total	450	225	150

TABLE III	
Diploma in Pharmacy (Part III)	
Practical Training – 500 hours	
<u>Activities</u>	
1) Stocking of Drugs and Medical Devices	
2) Inventory Control Procedures	
3) Handling of prescriptions	
4) Dispensing (250 hours)	
5) Patient counseling	

7. Syllabus- The syllabus for each subject of study shall be as prescribed by the Pharmacy Council of India from time to time.

8. Approval of the authority conducting the course of study-

- (1) No authority in a State shall start or conduct Diploma in Pharmacy course of study without the prior approval of the Pharmacy Council of India.
- (2) The course of regular academic study prescribed under regulation 6 shall be conducted in an institution, approved by the Pharmacy Council of India under sub-section (1) of Section 12 of the Pharmacy Act, 1948.

Provided that the Pharmacy Council of India shall not approve any institution under this regulation unless it provides adequate arrangements for teaching in regard to building, accommodation, equipments and teaching staff etc. as specified in Appendix-A to these regulations which may be amended by the Pharmacy Council of India from time to time.

9. Examinations-

- 1) There shall be an annual examination at the end of the academic year.
- 2) If necessary, there shall be a supplementary examination for the students who are not able to pass Diploma in Pharmacy Part-I or Part-II, as the case may be, as per the criteria specified by the examining authority.
- 3) The examinations shall be of written and practical (including viva – voce) nature, carrying maximum marks for each part of a subject, as indicated in Table IV and V below.

Table – IV DIPLOMA IN PHARMACY (PART-I) EXAMINATION						
Subject	Maximum marks for Theory			Maximum marks for Practicals		
	Examination	*Sessional	Total	Examination	*Sessional	Total
Pharmaceutics	80	20	100	80	20	100
Pharmaceutical Chemistry	80	20	100	80	20	100
Pharmacognosy	80	20	100	80	20	100
Human Anatomy & Physiology	80	20	100	80	20	100
Social Pharmacy	80	20	100	80	20	100
			500	+ 500 = 1000		

*Internal assessment

Table – V DIPLOMA IN PHARMACY (PART-II) EXAMINATION						
Subject	Maximum marks for Theory			Maximum marks for Practicals		
	Examination	*Sessional	Total	Examination	*Sessional	Total
Pharmacology	80	20	100	80	20	100
Community Pharmacy & Management	80	20	100	80	20	100
Biochemistry & Clinical Pathology	80	20	100	80	20	100
Pharmacotherapeutics	80	20	100	80	20	100

Hospital and Clinical Pharmacy	80	20	100	80	20	100
Pharmacy law & Ethics	80	20	100	-	-	-
600 +400 +100 = 1100						

*Internal assessment

10. Eligibility for appearing at the Diploma in Pharmacy Part-I and Part II examination-

Only such candidates who produce certificate from the Head of the academic institution in which he/she has undergone the Diploma in Pharmacy Part-I and Part-II course in proof of his/her having regularly and satisfactorily undergone the course of study by attending not less than 75% of the classes held both in theory and in practical separately in each subject shall be eligible for appearing at the Diploma in Pharmacy (Part-I) or (Part II) examination, as the case may be.

11. Mode of examinations-

- (1) Theory and Practical examination in the subjects mentioned in Tables – IV & V shall be of three hours duration. Both Theory and Practical are considered as two separate papers.
- (2) A candidate who fails in theory or practical examination of a subject shall re-appear for the failed subject. Theory and Practical of a particular subject are considered as individual subjects for the purpose of pass criteria.
- (3) Practical examination shall also consist of a viva- voce examination.

12. Award of sessional marks and maintenance of records-

- (1) A regular record of both theory and practical class work and examinations held in an institution imparting training for diploma in Pharmacy Part-I and diploma in Pharmacy Part-II courses, shall be maintained for each student in the institution and 20 marks for each theory and 20 marks for each practical subject shall be allotted as sessional marks.
- (2) There shall be two or more periodic sessional (internal assessment) examinations during each academic year. The highest aggregate of any two performances shall form the basis of calculating sessional marks.
- (3) The sessional marks in practicals shall be allotted on the following basis:-
 - (i) Actual performance in the sessional / spacing examination = 10 marks.
 - (ii) Day to day assessment in the practical class/spacing work =10 marks.

13. Minimum marks for passing the examination - A student shall not be declared to have passed Diploma in Pharmacy examination unless he/she secures at least 40% marks in each of the subjects separately in the theory as well as the practical examinations, including sessional marks. The candidates securing 60% marks or above in aggregate in all subjects shall be declared to have passed in first class. The candidates securing 75% marks or above in any subject or subjects shall be declared to have passed with distinction in that subject or those subjects. The grant of first class and distinction shall be subject to the condition that the candidate shall pass all the subjects in a single attempt.

14. Eligibility for promotion to Diploma in Pharmacy (Part-II)-

All candidates who have appeared for all the subjects and passed the Diploma in Pharmacy Part-I examination are eligible for promotion to the Diploma in Pharmacy Part-II class. However failure in more than two subjects shall debar him/her from promotion to Diploma in Pharmacy Part II class.

15. Improvement of sessional marks-

The candidates who wish to improve sessional marks can do so, by appearing in two additional sessional examinations during the next academic year. The average score of the two examinations shall be the basis for improved sessional marks in theory as well as in practical. Marks awarded to a candidate for day to day assessment in the practical class cannot be improved unless he/she attends a regular course of study again.

16. Approval of examinations- The examinations mentioned in regulations 9 to 15 shall be held by an authority (hereinafter referred to as the Examining Authority) in a State, which shall be approved by the Pharmacy Council of India under sub-section (2) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948. Such approval shall be granted only if the Examining Authority concerned fulfills the conditions as specified in Appendix-B to these regulations.

17. Certificate of passing examination for Diploma in Pharmacy (Part-II)- Certificate of having passed the examination for the Diploma in Pharmacy Part-II shall be granted by the examining authority to a successful student.

CHAPTER-3

Diploma in Pharmacy (Part-III)

(Practical Training)

18. Period and other conditions for practical training-

- (1) After having appeared in Part-II examination for the Diploma in Pharmacy held by an approved Examining Authority a candidate shall be eligible to undergo practical training in one or more of the following institutions namely:
 - (i) Hospitals/Dispensaries run by Central /State Governments.
 - (ii) A pharmacy licensed for retail sale of drugs under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 having the services of registered pharmacists.
 - (iii) Hospital and Dispensary other than those specified in sub-regulation (i) above for the purpose of giving practical training shall have to be recognized by Pharmacy Council of India on fulfilling the conditions specified in Appendix-C to these regulations.
- (2) The institutions referred in sub-regulation (1) shall be eligible to impart training subject to the condition that number of student pharmacists that may be taken in any hospital, dispensary or pharmacy licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drugs and Cosmetics Act, 1940, shall not exceed four where there is one registered pharmacist engaged in the work in which the student pharmacist is undergoing practical training, where there is more than one registered pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed two for each additional such registered pharmacist.
- (3) In the course of practical training, the trainee shall have exposure to -
 - (i) Working knowledge of keeping of records required by various Legislative Acts concerning the profession of pharmacy; and
 - (ii) Practical experience in activities mentioned in Table III under regulation 6 of these regulations.
- (4) The practical training shall be not less than five hundred hours spread over a period of not less than three months provided that not less than two hundred and fifty hours are devoted to actual dispensing of prescriptions.

19. Procedure to be followed prior to commencement of the training-

- (1) The head of institution imparting practical training, on application, shall supply in triplicate 'Practical Training Contract Form for Pharmacist' (hereinafter referred to as the Contract Form) to the candidate eligible to undertake the said practical training. The Contract Form shall be as specified in Appendix-D to these regulations.
- (2) The head of institution imparting practical training shall fill Section I of the Contract Form. The trainee shall fill Section II of the said Contract Form and the head of the institution agreeing to impart the training (hereinafter referred to as the Apprentice Master) shall fill Section III of the said Contract form.
- (3) It shall be the responsibility of the trainee to ensure that one copy (hereinafter referred to as the first copy of the Contract Form) so filled is submitted to the head of institution imparting practical training and the other two copies (hereinafter referred to as the second copy and the third copy) shall be filed with the Apprentice Master (if he so desires) or with the trainee till completion of the training.

20. Certificate of passing Diploma in Pharmacy Part-III-

On satisfactory completion of the practical training period the Apprentice Master shall fill Section IV of the second copy and third copy of the Contract Form and forward it to the head of institution imparting practical training who shall suitably enter in the first copy of the entries from the second copy and the third copy and shall fill Section V of the three copies of Contract Form and thereafter hand over both the second copy and the third copy to the trainee.

This Contract Form, completed in all respects, shall be regarded as a certificate of having successfully completed the course of Diploma in Pharmacy (Part- III).

CHAPTER-4

21. Certificate of Diploma in Pharmacy- A certificate of Diploma in Pharmacy shall be granted by the examining authority to a successful candidate on producing certificates of having passed the Diploma in Pharmacy Part I and Part II and satisfactory completion of practical training for Diploma in Pharmacy (Part-III).

22. Repeal and Savings-

- (1) The Education Regulations, 1991 (hereinafter referred to as the said regulations) published by the Pharmacy Council of India vide No. 14-55/87(Part)-PCI/2484-2887 dt.11.7.1992 and all amendments thereto are hereby repealed.
- (2) Notwithstanding such repeal,
 - (a) Anything done or any action taken under the said regulations shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of these regulations.
 - (b) A person who was admitted as a student under the said regulations to the course of training for Diploma in Pharmacy and who had not passed the examination at the commencement of these regulations shall be required to pass the examination in accordance with the provisions of the said regulations as if these regulations had not come into force:

Provided however, the Examining Authority in a particular State may fix a date after which the examinations under the said Regulations shall not be conducted.

Appendix-A**(See regulation 8)****Conditions to be fulfilled by the academic institution**

Any authority in India applying to the Pharmacy Council of India for approval of courses of study for Pharmacists under sub-section (1) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948 shall provide.

(A) ACCOMMODATION

Suitable and sufficient accommodation with adequate ventilation lighting and other hygienic conditions should be provided to the rooms for Principal /Head of the department, office, class room, library, staff, staff common room, students common room, museum, stores etc.

At least four laboratories specified below should be provided for:-

1. Pharmaceutics Lab.
2. Pharm. Chemistry Lab.
3. Physiology, Pharmacology and Pharmacognosy Lab.
4. Biochemistry, Clinical Pathology, Hospital and Clinical Pharmacy Lab.

In addition to the laboratories, balance room, aseptic room or cabinet, a machine room are also to be provided for.

Floor area of the laboratory should not be less than 30 square feet per student required to work in the laboratory at any given time subject to a minimum of 500 square feet.

Laboratories should be fitted and constructed in a manner that these can be kept reasonably clean. Gas and water fittings, shelves, fume cupboards be provided wherever necessary.

The institutions shall provide "Model Pharmacy" as per following details –

Model Pharmacy	No.	Area
<u>Essential</u> : Running Model Community Pharmacy	01	80 Sq. Mts. (Including 10 Sq. mt for Drug Information Centre & 10 Sq. mt. for Patient Counseling)
<u>Desirable</u> : Drug Model Store		

Wherever animal experimentations are prescribed in the curriculum, the required knowledge and skill should be imparted by using computer assisted modules. Animal hold area shall be as per the Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) guidelines.

(B) STAFF

Principal/Director/Professor/Head of Institution /Head of the Department may be engaged in teaching upto eight hours a week, and the work load of other teaching staff should not be more than sixteen hours per week.

Staff student ratio should not exceed 1:60 in theory classes and 1:20 in practical classes. There should be two teachers for a batch of 30 students in practicals. According to the above norms, the following staff is required for an intake of 60 students:

1. Principal/Director/Professor/Head of Institution/Head of the Department	- One
2. Lecturer :	
• M.Pharm/Pharm.D	- Three
• B.Pharm with 3 years of professional experience	- Four

In addition to regular faculty, the institution can have Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (M.B.B.S) faculty as visiting faculty for teaching Anatomy & Physiology and Biochemistry and Clinical Pathology.

The minimum qualification and experience of the teaching faculty including the Principal/ Director/ Professor/ Head of Institution/ Head of Department and their pay scales shall be as prescribed in the Minimum Qualification for Teachers in Pharmacy Institutions Regulations, 2014.

The pay scale of teaching staff shall not be less than the scale of pay prescribed by the State Government/ University Grants Commission/ All India Council for Technical Education for similar category of posts.

Provided that the above qualifications shall not apply to the incumbents appointed under the repealed Education Regulations.

Non-Teaching Staff

List of Non-Teaching staff for the D.Pharm course:

1.	Laboratory Technician (Qualification-Diploma in Pharmacy)	2
2.	Laboratory Attendent	4
3.	Office Superintendent	1
4.	Clerk-cum-Accountant	1
5.	Store-Keeper	1
6.	Typist	1
7.	Asstt. Librarian	1
8.	Peons	2
9.	Cleaners/Sweepers	4
10.	Gardener	1

Museum

Every institution shall maintain a museum of crude drugs, herbarium sheets, botanical specimens of the drugs and plants mentioned in the course. In addition, the following are recommended:-

1. Coloured slides of medicinal plants:
2. Display of popular patent medicines; and
3. Containers of common usage in medicines.

Library

Every institution shall maintain a library which should contain books mentioned in the syllabus and also the current pharmaceutical journals. There should be adequate place in the library for students and staff to refer books.

NOTE: The above requirements are the minimum requirements and the Institution is free to provide more-physical and teaching facility.

Equipments

The list of equipments & apparatus shall be as may be decided by the Pharmacy Council of India from time to time.

Appendix-B

(See regulation 16)

Conditions to be fulfilled by the Examining Authority

1. The Examining Authority shall be either a statutory Indian University or a body constituted by the Central or State Government. It shall ensure that discipline and decorum of the examinations are strictly observed at the examination centers.
2. It shall permit the Inspector or Inspectors of the Pharmacy Council of India to visit and inspect the examinations.
3. It shall provide:-
 - (a) adequate rooms with necessary furniture for holding written examinations;
 - (b) well-equipped laboratories for holding practical examinations;
 - (c) an adequate number of qualified and responsible examiners and staff to conduct and invigilate the examination; and
 - (d) such other facilities as may be necessary for efficient and proper conduct of examinations.
4. It shall, if so required by a candidate, furnish the statement of marks secured by a candidate in the examinations after payment of prescribed fee, if any, to the Examining Authority.
5. It shall appoint examiners whose qualifications should be similar to those of the teachers in the respective subjects as shown in Appendix-A.
6. In pursuance of sub-section (3) of section 12 of the Pharmacy Act, 1948, the Examining Authority shall communicate to the Secretary, Pharmacy Council of India not less than six weeks in advance the dates fixed for examinations, the time-table for such examinations, so as to enable the Council to arrange for inspection of the examinations.
7. The Chairman and at least one expert member of Examining Committee of the Examining Authority concerned with appointment of examiners and conduct of pharmacy examinations should be persons possessing pharmacy qualifications.

Appendix-C

[See regulations 18 (1)(iii)]

Conditions to be fulfilled by the institution to be recognised for giving practical training

1. The Institution, where practical training is given to student pharmacists, shall from time to time, if required, furnish such information as may be needed by the Pharmacy Council of India about the staff, accommodation and equipment of the Institution concerned and its working.
2. The Institution shall permit the Inspectors of the Pharmacy Council of India to inspect the premises at any reasonable time while the work is proceeding therein.
3. The Institution shall entrust some member or members of its staff, who shall be registered pharmacist (s), to look after the student pharmacists. Such members of the staff shall be responsible in this behalf to the Head of the Institution concerned.
4. The Institution shall provide such opportunity, accommodation, apparatus, materials and books of reference as may be required to enable the student pharmacists to undergo the practical training properly.

5. The number of student pharmacists that may be taken in any hospital, pharmacy and chemist and druggist licensed under the Drugs and Cosmetics Rules, 1945 made under the Drug and Cosmetics Act, 1940 shall not exceed four where there is one registered pharmacist engaged in the work in which the student pharmacist is undergoing practical training; where there is more than one registered pharmacist similarly engaged, the number shall not exceed two for each additional such registered pharmacist.
6. The Institution wishing to be recognised under regulation 18 shall apply in writing to the Secretary, Pharmacy Council of India stating its desire, to be so recognised.
7. Having satisfied that the institution shall follow the conditions laid down in these rules, the Pharmacy Council of India shall grant such recognition.
8. In the event of any question arising as to the interpretation or observance of these conditions the decision of the Pharmacy Council of India shall be final.

Appendix-D

[See regulations 19(1)]

Practical training contract form for pharmacists

SECTION I

This form has been issued to _____

(Name of student pharmacist)

son of /daughter of _____ residing at _____ who has produced evidence before me that he/she is entitled to receive the Practical Training as set out in the Education Regulations, 2020 made under section 10 of the Pharmacy Act, 1948.

Date:

**The Head of Institution imparting
practical training**

SECTION II

I _____ accept

(Name of the Student Pharmacist)

_____ of _____

(Name of the Apprentice Master)

(Name of the Institution)

(Hospital or Pharmacy)

as my Apprentice Master for the above training and agree to obey and respect him /her during the entire period of my training.

(Student Pharmacist)

SECTION III

I, _____ accept

(Name of the Apprentice Master)

_____ as a

(Name of the student pharmacist)

trainee and I agree to give him /her training facilities in my organisation so that during his /her training he /she may acquire:

1. Working knowledge of keeping of records required by the various Acts affecting the profession of pharmacy; and
2. Practical experience in -
 - 1) Stocking of Drugs and Medical Devices
 - 2) Inventory control procedures
 - 3) Handling of prescriptions
 - 4) Dispensing
 - 5) Patient counseling

I also agree that a Registered Pharmacist shall be assigned for his /her guidance.

(Apprentice Master)

(Name & address of the Institution)

SECTION IV

I certify that _____ had

(Name of student pharmacists)

has undergone _____ hours training spread over _____ months in

accordance with the details enumerated in SECTION III.

(The Head of Institution imparting practical training)

SECTION V

I certify that _____ has

(Name of student pharmacists)

completed in all respect his practical training under regulation 18 of the Education Regulations, 2020 made under section 10 of the Pharmacy Act, 1948. He had his practical training in an Institution approved by the Pharmacy Council of India.

Date:

(Head of the Academic Institution)

ARCHNA MUDGAL, Registrar-cum-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./298/2020-21]